न्यायालय, [illegible] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 24/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सतपाल कौर पत्नि भाग सिंह		1. सरजीत कौर पत्नि मलकीत सिंह जटसिख निवासी 4 एनएन पदमपुर
2. हरप्रीत सिंह पुत्र भाग सिंह		2. निरंजन सिंह पुत्र प्रताप सिंह
3. सुखप्रीत सिंह पुत्र भाग सिंह		3. नर सिंह पुत्र प्रताप सिंह
4. भाग सिंह पुत्र भजन सिंह(मृतक)		4. भरपूर सिंह पुत्र बारा सिंह
4/1. रमनदीप कौर पत्नि जगजीत सिंह		5. हरविलास सिंह पुत्र मुंशा सिंह
4/2. अमनदीप कौर पत्नि गुरवीर सिंह		6. चरणजीत सिंह पुत्र मुंशा सिंह
सभी जातियान जटसिख निवासीगण 48जीजी		7. बलदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह
		8. जसवन्त सिंह पुत्र बलवीर सिंह
		9.प्रीतपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह
		10.रूमेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह
		11.सुखदेव कौर पत्नि लछमन सिंह
		12.लखविन्द्र सिंह पुत्र लछमन सिंह
		13.सुखमन्दर सिंह पुत्र लछमन सिंह
		14.हाकम सिंह पुत्र छोटा सिंह
		सभी जातियान जटसिख निवासीगण 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
		15.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजूः- 09.04.2019

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय-- दिनांक : 19/11/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 48 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 44/12 के मु.न. 10,15,16,74/7,74/8 की कुल 18.970 हैक्टर भूमि में वादीगण संख्या 1 के नाम 0.886 हैक्टर भूमि, वादीगण संख्या 2 के नाम 1.012 हैक्टर, वादीगण संख्या 3 के नाम 0.759 हैक्टर तथा वादीगण संख्या 4 के नाम 0.885 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। शेष भूमि अन्य प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का वाहमी तौर पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने काश्त की सहुलियत के लिए बंटवारा किया हुआ है। बंटवारा अनुसार अपने-अपने हिस्सा पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। बंटवारा में वादीगण को चक 48 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 44/12 के मु.न. 10 के किला न. 2,3,4,7,8,9,12,13,14,17,18,19,23,24 प्रत्येक सालम-सालम भूमि हिस्सा में आई हुई है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त तमाम भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है। जिसका कानूनी तौर पर विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण पिछले करीब 35-40 वर्षो से उक्त भूमि पर बतौर खातेदार बेरोकटोक, लगातार, निर्विवाद व शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। वादगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। जिसमें कृषि कार्य यथा बैक ऋण बाबत, सिंचाई व लगान तथा रास्ता के सम्बन्ध में असुविधा रहती है। जिस कारण इसका खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक है इसलिए वादीगण वाद पेश करने के अधिकारी हैं। दावा डायरी से दो रोज पूर्व वादीगण प्रतिवादीगण से मिलकर खाता विभाजन हेतु कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया।

Signatu
Digitally s
Date: 202
Reason: S

उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

वादी वाद कारण है। राज्य सरकार को जरिए तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 48 जी जी की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 44/12 के मु.न. 10,15,16,74/7, 74/8 की कुल 18.970 हैक्टर भूमि में से वादीगण को चक 48 जीजी के खाता संख्या 44/12 के मु.न. 10 के किला न. 2,3,4,7,8,9,12,13,14,17,18,19,23,24 प्रत्येक सालम-सालम भूमि का खाता तकसीम किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 की तलबी विधिवत रूप से होने के बावजूद उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादीगण संख्या 4 (मृतक) के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 (मृतक) के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए वाद बिन्दू कायमी की आवश्यकता नहीं है।

वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसलिए वाद बिन्दू कायम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्री करणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिए जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 48 जी जी की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 44/12 के मु.न. 10,15,16,74/7, 74/8 की कुल 18.970 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 ता 4/2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण अपनी आराजी का बाई- मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण संख्या 1 ता 4/2 को अपने हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि राजस्व ग्राम 48 जीजी, पटवार हलका- 48 जीजी(श्रीनगर) तहसील श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 44/12 के मुरब्बा नम्बर 10,15,16,74/7, 74/8 की कुल 18.970 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 ता 4/2 के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे, तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्री करणपुर को बंटवारा करवाने हेतु अधिकृत किया। तहसीलदार श्री करणपुर द्वारा अपने पंत्राक 10234 दिनांक 18.08.02020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात बंटवारा रिपोर्ट/प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की। सामिल पत्रावली की गई।

प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गइ है। बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई, अधिवक्ता वादीगण ने दौराने बहस माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव का वाद डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस अधिवक्ता वादीगण एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature No
Digitally signed
Date: 2020.12.2
Reason: SelfAtte

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री लाखाराम आर.ए.एस.

सतपाल कौर आदि बनाम सरजीत कौर आदि

धारा अन्तर्गत 53,88 आरटीए मुकदमा नं. 24/2019

निर्णय दिनांक :- 19.11.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी श्री राजेन्द्र रमाणा व सुखविन्द्र सिंह सरां पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि - वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 48 जीजी, पटवार हलका- 48 जीजी(श्रीनगर) श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 44/12 के मुरब्बा नम्बर 10,15,16,74/7, कुल 18.970 हैक्टर नहरी भूमि का विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेवारान मय वल्दियत सकूनत	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
सतपाल कौर पत्नि भाग सिंह, हरप्रीत सिंह पुत्र भाग सिंह, सुखप्रीत सिंह पुत्र भाग सिंह, भाग सिंह पुत्र भजन सिंह सभी जातियान जटसिख निवासीगण 48 जीजी	10	2	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		3	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		4	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		7	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		8	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		9	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		12	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		13	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		14	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		17	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		18	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		19	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		23	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
		24	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90

... खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन ... मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

... दिनांक ...17/12/2020..... को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

17/12/20

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	280	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	284	00	योग	00	00

17/12/20

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक: राजस्व/ 2020/413 दिनांक: 17.12.2020

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

17/12/20

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signatu...
Digitally s...
Date: 202...
Reason: ...